संख्या-5/2015/98/सत्तर-1-2015-16(114)/2010

प्रेषक

बी0 बी0 सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 28 मई, 2015

विषय:- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-डिग्री अर्थ-2/29/2015-16 दिनांक 10-4-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50(6) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 द्वारा 15 दिन के अंदर विश्वविद्यालय की परिनियमावली में तदनुसार सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये।

2- उक्त शासनादेश में विहित अवधि के समाप्त होने के उपरान्त भी विश्वविद्यालयों द्वारा परिनियमावली में संशोधन की निर्दिष्ट कार्यवाही नहीं की गयी। अत: उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50(6) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल/कुलाधिपति की सहमति से निर्गत शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के दिशा-निर्देशों को परिनियम के रूप में समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के अनुपालन हेतु निर्गत किया गया।

3- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के बिन्दु-3 में शिक्षकों के लिय कैरियर एडवांसमेन्ट हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत

http://shasanadesh.up.nic.in

नियमन, 2010 द्वारा निर्धारित संशोधित कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम एवं इसके अधीन पदोन्नति हेतु विगत सेवाओं की गणना के सम्बन्ध में किये गये प्राविधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010, निर्गत होने की तिथि 30 जून, 2010 से लागू होने तथा इससे पहले कैरियर एडवांसमेन्ट के सम्बन्ध में पूर्ववत व्यवस्था ही लागू रहने का उल्लेख है।

4- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के बिन्दु-4 में कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के लिये निर्धारित चयन समिति/चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 की व्यवस्था के अनुसार ही होने किन्तु महाविद्यालयों के शिक्षकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था पूर्ववत बनी रहने तथा आवश्यकतानुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जाने का उल्लेख है।

5- शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 सपठित शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा निर्गत परिनियम संख्या-21.10-'अदर प्रोविजन्स' के अन्तर्गत परिनियमावली में उल्लिखित प्राविधानों से कोई इतर प्राविधान, यदि इन परिनियमों से आच्छादित नहीं होता है, तो ऐसा प्रकरण विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्राविधानों से विनियमित किये जाने का उल्लेख है।

6- अत: उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के बिन्दु-4 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि महाविद्यालय के शिक्षकों के लिये कैरियर एडवांसमेन्ट हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 द्वारा निर्धारित कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम एवं इसके अधीन पदोन्नति हेतु विगत सेवाओं की गणना के सम्बन्ध में किये गये प्राविधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 निर्गत होने की तिथि 30 जून, 2010 से लागू होंगे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत "परफारमेन्स बेस्ड अप्रेजल सिस्टम" में ए0पी0आई0 अंकों के आधार पर समिति द्वारा मूल्याकन की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करते हुये शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम एवं इसके अधीन पदोन्नति हेतु विगत सेवाओं की गणना के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(बी0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2015/98(1)/सत्तर-1-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/ कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश सम्बन्धित जनपदों के समस्त राजकीय महाविद्यालयों/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रेषित करते हुये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(4) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-126/सत्तर-1-2014-16(114)/2010 दिनांक 20 मई, 2014 के संदर्भ में।

(5) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करते हुये समस्त सम्बन्धित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(6) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सचिव महोदय के सूचनार्थ।

(7) समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(वीरेन्द्र नाथ)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in